IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

मध्यमवर्गीय एवं निम्नवर्गीय परिवार के बच्चों में अपराधीकरण : एक तुलनात्मक अध्ययन

(बिहार के पटना जिला के संदर्भ में)

डॉ. कुमारी सोनम

एम. ए. (गृह विज्ञान) पी.–एच. डी.

मगध विश्वविद्यालय, बोध–गया

आवास–4सी–रूक्मी ब्लॉक,

मुकुंद कुंज अपार्टमेंट, पटना–800026 (बिहार)

शोध–सार (Abstract)

प्रस्तुत शोध–पत्र में मध्यमवर्गीय एवं निम्नवर्गीय परिवार के बच्चों में अपराधीकरण का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है, जो बिहार के पटना जिला के विशेष संदर्भ को अपने में समेटे हुए है। तथ्यों को प्रश्नावली, अवलोकन व व्यक्ति अध्ययन विधि देव निदर्शन विधि के द्वारा एकत्रित किया गया है। इसमें मानव के स्वाभावगत प्रवृत्तियों में स्वार्थ, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ–मोह को प्रतिष्ठित किया गया है। ये सारी प्रवृत्तियाँ ही अपराध की जड़ है जिसे व्यापक रूप से इस शोध पत्र में अध्ययन करने की कोशिश की गई है।

शब्द कुंजी : मध्यमवर्गीय, निम्नवर्गीय, अपराधीकरण, उदण्डता, निर्धनता, सामाजिक मूल्य।

परिचय :

मानव एक सामाजिक प्राणी है। मानव एवं समाज का अटूट सम्बन्ध है मानव सामाजिक बनने के पूर्व एवं सामाजिक बनने के बाद भी अपनी स्वाभावगत प्रवृत्तियों से मुक्ति पाने में असफल रहा है। स्वाभावगत प्रवृत्तियों से तात्पर्य स्वार्थ, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ–मोह तथा काग से है। समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए मानव ने स्वयं रीति रिवाज परम्पराएँ नियम विकसित किये। समाज के कुछ सदस्यों द्वारा नियमों परम्पराओं की अवहेलना की गयी। इसी अवहेलना को पाप या अपराध कहा गया था।

अपराध अंग्रेजी के शब्द क्राइम का हिन्दी अनुवाद है। हिन्दी शब्द कोश में क्राइम के जो पर्याय दिये हुए हैं, वे इस प्रकार हैं–

अपराध, जुर्म, कसूर, दोष, अपकृष्य, पाप या गुनाह। अंग्रेजी का क्राइम शब्द लैटिन भाषा के क्रिमेन शब्द से बना है, जिसका अर्थ है कि लगावा साधारण बोलचाल की भाषा में अपराध एक ऐसा कार्य है जो व्यक्ति का सामाजिक विलगाव उत्पन्न करता है। दूसरे शब्दों में जिसे समाज स्वीकार नहीं करता है।

अपराध सार्वभौमिक होते हुए भी इसकी व्याख्या में सार्वभौमिकता का अभाव पाया जाता है। इसका कारण यह है कि अपराध की व्याख्या देश काल और परिस्थिति के अनुकूल होती है। इसलिये अपराध की व्याख्या में भी भिन्नता पायी जाती है। उदाहरण के लिए बलात्कार अनेक देशों में इसे एक छोटी सी भूल के रूप में स्वीकार किया गया है, जबकि भारत वर्ष में यह भयंकर अपराध है। इसी प्रकार शराब पीना भी कई जगह अपराध है और कई जगह नहीं।

अपराध कई प्रकार के होते हैं जैसे–श्वेतवसन अपराध बाल अपराध, ग्रामीण एवं नगरीय अपराध, यहां हम मध्यमवर्गीय व निम्नवर्गीय परिवारों के बच्चों में अपराधीकरण की तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करेंगे।

बाल अपराध :

आधुनिक समाज आज जिन महत्त्वपूर्ण समस्याओं से घिरे हुए हैं, बाल अपराध उनमें एक प्रमुख समस्या है। भारत में औद्योगिकीकरण तथा नगरीकरण की असन्तुलित ऋद्धि के साथ पारिवारिक विघटन की प्रक्रिया जैसे–तैसे तीव्र होती गयी, बाल अपराधी की दर तथा प्रकृति में अभूतपूर्व वृद्धि होने लगी। बच्चों में नटखटपन एक सार्वभौमिक तथ्य है, किन्तु जहाँ यह नटखटपन समाज की मान्यताओं को भंग करने लगता है तो बाल अपराध के नाम से जाना जाता है। वर्त्तमान में भारत में बाल अपराध की समस्या दिनोंदिन गंभीर होती जा रही है। जिसके निदान की तुरन्त आवश्यकता है।

जी. सी. दन्त का कथन है कि भारत में आज बाल अपराध की समस्या गंभीर रूप धारण कर चुकी है तथा देश के अनेक उन भागों में जो कुछ पहले तथा पूर्णतया ग्रामीण थे आज औद्योगिकीकरण का तेजी से विकसित होने के कारण यह समस्या शीघ्र ही पश्चिमी देशों के समान गम्भीर रूप धारण कर सकती है। वास्तव में बाल अपराध की समस्या की बच्चों के जीवन से सम्बन्धित सामान्य समस्या समझकर छोड़ देना ही उचित नहीं है, बाल अपराध पर समुचित नियन्त्रण न होने से यही बच्चे और किशोर भविष्य में गम्भीर अपराध बनकर समाज को विघटित करने का श्रोत बन जाते हैं। इस दृष्टिकोण से आवश्यक है कि बाल अपराध की प्रवृष्टि तथा कारणों का विश्लेषण करके इस समाचार के समाधान के व्यवहारिक प्रयत्न किये जाय। बालकों द्वारा किये जाने वाला समाज विरोधी कार्य ही बाल अपराध कहलाता है। कानून की दृष्टि से एक खास आयु के बालकों द्वारा समान की रीति नीतियों प्रथाओं एवं मान्यताओं का उल्लंघन करना ही बाल अपराध है। बाल अपराध की कुछ परिभाषाएँ निम्नलिखित हैं–

डॉ. सुशीलचन्द–''यह समाज विज्ञान की वह शाखा है जो बालकों के असामाजिक व्यवहारों का अध्ययन करती है। प्रत्येक समाज चाहे वह उन्नत हो या अशिक्षित, सामाजिक मूल्यों के एक संग्रह को जो उनकी संस्कृति व पीढ़ी की देन होती है। रखता हो उस समाज के रीति रिवाज प्रथाएँ परम्पराएँ एवं रूढ़ियाँ सामाजिक आचरण को परिभाषित करती है। ताकि मौलिक मूल्यों की रक्षा हो सके और वे टिक सकें। इस प्रकार से स्थापित आदर्श आचरण सामाजिक सामान्य आचरण होते हैं, का अलगाव अपराधी आचरण का द्योतक होता है।

रेकलेस–''बाल अपराध विधि के उल्लंघन पर एवं संरूपण के उस अनुशरण पर लागू होता है जिसे बच्चों या वयस्कों द्वारा अच्छा नहीं समझा जाता है।''

न्यूमेर–''अतः बाल अपराध का अर्थ समाज विरोधी व्यवहार का कोई प्रकार है। वह व्यक्तिगत तथा सामाजिक विघटन का समावेश करता है इसमें एक निर्धारित आयु एवं कम आयु का वह व्यक्ति होता है जो समाज विरोधी कार्य करता है तथा कानून की दृष्टि से अपराधी है।''

सेमना–बाल अपराध के अन्तर्गत किसी बालक या ऐसे तरुण व्यक्ति के गलत कार्य आते हैं, जो कि संबंधित स्थान के कानून जो इस समय लागू हो के द्वारा संदिष्ट आयु सीमा के अन्दर आता है।

रविन्सन–रविन्सन ने बाल अपराधी प्रवृत्ति के अन्तर्गत निम्नलिखित विशेषताओं को सम्मिलित किया है। आवारागर्दी और भीख मांगना, दुर्व्यवहार बुरे इरादे से शैतानी करना और उदण्डता।

भावटर–भावटर ने बाल अपराध की परिभाषा इस प्रकार दी है। ''वह व्यक्ति जो जानबूझकर इरादे के साथ तथा समझते हुए इस समाज की रूढ़ियों की उपेक्षा करता है, जिससे उसका सम्बन्ध है।'' के क्राइडलैल्डर के अनुसार–''बाल अपराधी वह बच्चा है जिसकी मनोवृत्ति कानून को भंग करने वाली हो अथवा कानून को भंग करने का संकेत करती है।''

गिलिन एवं गिलिन के अनुसार–''समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से एक बाल अपराधी वह व्यक्ति है, जिसके व्यवहार को समाज अपने लिये हानिकारक समझता है और इसलिए उसके द्वारा निषिद्ध होता है।''

उद्देश्य एवं अध्ययन का औचित्य :

(1) मध्यमवर्गीय एवं निम्नवर्गीय परिवारों के बच्चों में अपराधीकरण का तुलनात्मक अध्ययन करना।

(2) बाल अपराध के अन्तर्गत बालक एवं बालिकाओं के द्वारा किये गये अपराधों का तुलनात्मक अध्ययन करना।

(3) बाल अपराध के कारणों, घर के भीतर का वातावरण तथा घर के बाहर के वातावरण का अध्ययन करना।

(4) घर के भीतर का वातावरण जैसे–निर्धनता, अस्वस्थ पारिवारिक संबंध अनुशासन (विघटित) परिवार अनैतिक परिवार का अध्ययन करना।

(5) घर के बाहर का वातावरण जैसे जैविकीयकरण मनोवैज्ञानिक कारण व्यक्तित्व मानसिक विकार का अध्ययन करना।

(6) बालक के भगोड़ेपन व आवारापन के आदतों का अध्ययन करना, जो बाल अपराध को जन्म देने के प्रमुख कारणों में से एक है।

(7) अपराधी बालकों के परिवार के आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना।

(8) सुधारात्मक संस्थाएँ जैसे सुधार विद्या।

सैद्धान्तिक समीक्षा :

(1) **साहित्य का पुनरीक्षण** : विषय से सम्बन्धित प्राप्त साहित्य का पुनर्नीरिक्षण किया गया है जो इस प्रकार है–

भारतीय दण्ड संहिता के अनुसार 1981 में बाल अपराधी द्वारा कुल 61,019 अपराध किये गये में 1981 में इनकी संख्या 52,610 मापी गयी है। 1981 में बाल अपराध का प्रतिशत कुल अपराध का 4.4 प्रतिशत और 1987 में 3.7 प्रतिशत पाया गया है। इस प्रकार कुल अपराधों में बाल अपराध का प्रतिशत घटा है, 1988 में बाल अपराधों के वर्गीकरण में अन्तर आ जाने के कारण बाल अपराधों की संख्या में भी परिवर्तन आया है, 1988 में बाल अपराधियों की संख्या 24,827 पायी गयी जो कि कुल अपराध का 1.7 प्रतिशत थी।

1991 में 12,588 बाल अपराधी पंजीयन हुए और इस तरह जहाँ 1988 में बाल अपराध का कुल अपराध की दृष्टि से प्रतिशत 1.7 था वहीं 1991 में 0.8 पाया गया। उल्लेखनीय है कि किशोर न्याय अधिनियम 1986 के अनुसार बाल अपराधियों की आयु अब 7 वर्ष से 16 वर्ष के बीच निर्धारित की गयी है। बालिकाओं के लिए यह आयु 7 वर्ष से 18 वर्ष के बीच निर्धारित की गयी है। देश में 1981–1991 के बीच बाल अपराध की स्थिति इस तालिका द्वारा निर्धारित है–

वर्ष	बल अपराध
1981	61,019
1982	59,345
1983	55,473
1984	42,803
1985	49,317
1986	55,887
1987	52,610
1988	24,827
1989	18,457
1990	15,230
1991	12,588

लिंग के अनुसार बाल अपराध :

(1) भारत में लिंग के आधार पर बाल अपराध का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि कुल अपराध की संख्या में कमी हो रही है। अपराध में लड़कियों की सहभागिता में वृद्धि हो रही है। विभिन्न वर्षों में लिंग के आधार पर बाल अपराध की स्थिति को निम्न तालिका से स्पष्ट है।

(2) 10,772 (36.4 प्रतिशत) प्राथमिक शिक्षा प्राप्त था।

(3) 5,480 यानि (57 प्रतिशत प्राथमिक शिक्षा से अधिक किन्तु हाईस्कूल से कम शिक्षित थे और

(4) 1974 यानि 6, 7 प्रतिशत हाईस्कूल या इससे अधिक शिक्षा प्राप्त थे।

देश के भिन्न–भिन्न भागों में बाल अपराधियों की शैक्षणिक स्थिति एक समान नहीं है एक क्षेत्रीय अध्ययन में प्रो. अखिलेश शुक्ल ने यह पाया कि म. प्र. के रीवा सम्भाग में पाये गये बाल अपराधियों में 40 प्रतिशत निरक्षर 20 प्रतिशत प्राइमरी या इससे कम 17 प्रतिशत कक्षा तक उत्तीर्ण 18 प्रतिशत हाईस्कूल से कम व 4 प्रतिशत हाईस्कूल व उससे अधिक शिक्षित रहे हैं।

पारिवारिक पृष्ठभूमि :

ब्यूरो का विचार है कि सभी राज्यों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों की स्थिति एक समान नहीं है। अध्ययन का निष्कर्ष इस प्रकार है–

(1) माता–पिता के साथ रहने वाले बाल अपराधी 69.75 प्रतिशत है। (2) अपने संरक्षकों के साथ रहने वाले बाल अपराधी 19. 75 प्रतिशत है। (3) गृहविहीन बाल अपराधी 10,68 प्रतिशत है।

आर्थिक स्थिति :

निम्नलिखित पाँच शीर्षकों के अन्तर्गत अपराधी बालकों के माता–पिता तथा संरक्षकों की आर्थिक स्थिति का अध्ययन किया गया था।

(1) निम्न आय वर्ग (500 रु. मासिक आय वाले) के 17.887 बाल अपराध पाए गए हैं।

(2) निम्न मध्य आय वर्ग परिवारों (150–1,000/– प्रतिमाह आय वाले) के 6,770 बाल अपराधी पाये गये हैं।

(3) 1,000 से 2,000 रु. अपराधी आय वाले मध्य आय वर्ग के परिवारों 2,987 बाल अपराधी हैं।

(4) आय मध्य आय (200–3,000 रु. प्रतिमाह) के 516 बाल अपराधी पाये गये हैं। इस प्रकार अध्ययन का निष्कर्ष यह था कि 1991 में 6,044 प्रतिशत अपराधी निम्न आय वर्ग, 22.87 प्रतिशत निम्न मध्य वर्ग 10.09 प्रतिशत मध्य आय वर्ग 483 प्रतिशत उच्च मध्य वर्ग तथा 1.77 प्रतिशत उच्च आय समूह परिवारों के थे।

पुनरावृत्ति :

पुनरावृत्ति का भी अध्ययन किया गया था, 1997 में 29,5191 बाल अपराधियों में 24,973 नये तथा 4,618 बाल अपराधी पुराने थे, इस तरह 156,6 प्रतिशत बालक बालिकाओं ने अपराध की पुनरावृत्ति भी की थी।

परिकल्पना एवं उप–परिकल्पनाएँ :

बाल अपराध को जन्म देने के सबसे कारण निर्धनता व टूटे परिवार है। उस अवधि में हमारा यह अनुमान हमारे अध्ययन कार्य में अत्यन्त सहायक सिद्ध होगा, क्योंकि हमें यह निश्चित रूप से पता होगा कि आर्थिक तथा पारिवारिक कारकों पर ध्यान केन्द्रित करना है और उन्हीं से सम्बन्धित तथ्यों को एकत्रित करना है फिर देखना है कि जो अनुमान आरम्भ में लगाया था वह सही है अथवा गलत।

जी लुण्डबर्ग ने लिखा है, एक फलप्रद परिकल्पना की खोज में हम कविता, साहित्य दर्शन, समाजशास्त्र के विस्तृत वर्णात्मक साहित्य मानव जाति शास्त्र, कलाकारों के काल्पनिक सिद्धान्तों या उन गंभीर विचारकों के सिद्धान्तों की सम्पूर्ण दुनिया में विचरण कर सकते हैं जिन्होंने कि मनुष्य के सामाजिक सम्बन्धों के गहन अध्ययन कार्य में अपने को नियोजित किया है। इसलिये कहा जाता है कि ''अच्छे अनुसंधान में उपकल्पना का निर्माण एक केन्द्रीय पथ है।''

6. (ए) जिस प्रकार किसी विशाल भवन का निर्माण आरम्भ करने से पूर्व उसका एक व्यवस्थित प्रारूप तैयार कर लेना आवश्यक होता है, उसी प्रकार शोध कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व उसका व्यवस्थित प्रारूप तैयार कर लेना आवश्यक होता है पी. बी. यंग ने लिखा है कि – ''एक शोध प्रारूप शोध का तार्किक एवं व्यवस्थित आयोजन एवं निर्देशन है।''

(बी) अन्वेषणात्मक अथवा निरूपणात्मक शोध प्रारूप अन्वेषणात्मक शोध प्रारूप किसी भी विशिष्ट अध्ययन के लिए परिकल्पना का निर्माण करने एवं उससे सम्बद्ध अनुभव प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। अन्वेषणात्मक शोध प्रारूप की सफलता कुछ अनिवार्य दशाओं पर आधारित है।

साहित्य का सर्वेक्षण, अनुभव, सूचना दाताओं का चयन, उपर्युक्त प्रश्न पूछना, अन्तर्दृष्टि प्रेरक घटना का विश्लेषण आदि है। वर्णात्मक शोध प्रारूप एवं प्रयोगात्मक शोध प्रारूप आदि है।

निष्कर्ष :

इस प्रकार प्रस्तावित अध्ययन मध्यवर्गीय व निम्नवर्गीय परिवारों के बच्चों में तुलनात्मक अध्ययन करना है। प्रस्तुत अध्ययन में निर्धारित संख्या के लिए बालकों एवं बालिकाओं का अध्ययन देवरिया एवं सीवान जिला में किया जायेगा। तथ्यों को एकत्रित करने के लिए प्रश्नावली, अवलोकन, व्यक्ति अध्ययन विधि देव निर्देशन विधि के द्वारा तथ्यों को संकलित किया जायेगा। तथ्यों का सम्पादन, संकेतन सारणीय, वर्गीकरण, विवेचन किया जायेगा। शोध प्रतिवेदन शोध का अन्तिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चरण है। शोध प्रतिवेदन का मुख्य उद्देश्य अध्ययन के परिणामों में रुचि रखने वाले व्यक्तियों के समक्ष उन्हें पर्याप्त विस्तार रूप से प्रस्तुत करना तथा उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करना कि प्रत्येक पाठक व तथ्यों को समझने और निष्कर्षों की वैधता का स्वयं मूल्यांकन करने में समर्थ हो सकें। शोध प्रतिवेदन को छः भागों में बांटा जा सकता है–

(1) ज्ञान को लिखित रूप प्रदान करना। (2) सम्भावित शोध का मार्ग प्रशस्त करना। (3) अध्ययन पद्धतियों की सार्थकता का मूल्यांकन। (4) जटिल एवं अव्यवस्थित तथ्यों को व्यवस्थित करना। (5) तथ्यों में निहित कार्य–कारण के सम्बन्ध का स्पष्टीकरण। (6) निष्कर्षों की वैधता की जाँच।

संदर्भ :

1. बर्ट, सी. : दि यंग डेलिंक्वेंट
2. थ्रैशर : जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी एण्ड क्राइम प्रिवेशन (लेख)
3. यंग : सोशल ट्रीटमेंट इन प्रोबेशन ऐंड डेलिंक्वेंसी
4. अपराध संबंधी भारत सरकार की रिपोर्ट–2017
5. दैनिक जागरण (समाचार पत्र) रिपोर्ट : ''अधिकांश गरीब परिवार के बच्चे बाल अपराध में शामिल हैं'', 5 अप्रैल–2018
6. गायत्री परिवार : ''बच्चे अपराधी क्यों बनते हैं?'' जुलाई, 1964
7. प्रभा साक्षी (समाचार सहायक) : ''मनोवैज्ञानिक तरीकों से रोके जा सकते हैं बाल अपराध'', नवम्बर 28, 2017